[8/7/2024] पार : 1

मो. 9644781611, 8871234174 प्रश्न सं. [क 113]

भारत नव निर्माण मोर्चा

(राष्ट्रवादी पार्टियों संगठनों का मोर्चा)

राष्ट्रीय संयोजक
मनोजसिंह कुशवाह
शास्त्री नगर, ए ब्लॉक, भिण्ड (म.प्र.)

दिनांक 17/9/19

क्रमांक

प्रति,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
म.प्र. शासन
भोपाल (म.प्र.)

द्वारा:- श्रीमान कमिश्नर महोदय, ग्वालियर संभाग ग्वालियर

विषय:- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कराने बावत।

महोदय,

निवेदन है कि ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय में तकरीबन 60 कर्मचारी विगत 15-20 वर्षो से कार्य कर रहे हैं। उन्हें म.प्र. शासन के आदेश कमांक 5-1/2013/1/3 भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर 2016 में आने के बावजूद इन कर्मचारियों को अभी तक कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा मियमित नहीं किया गया है। जिससे इनको भविष्य में नियमित होने की आशा टूट चुकी है। कर्मचारी महाविद्यालय के द्वार पर भूख हडताल पर भी बैठे लेकिन प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और धमकाकर उन्हें वहां से भगाया जा रहा है।

आपसे निवेदन है कि आप ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय को संज्ञान में लेकर इन विचारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कराने की कृपा करें। अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ तो भारत नव निर्माण मोर्चा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन करेगा। जिसकी सम्पूर्ण जबावदारी आपकी और विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय

मनोज सिंह कुशवाह
राष्ट्रीय संयोजक

(म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त)

पंजीयन क्रमांक-2044

म.प्र. लघुवेतन कर्मचारी संघ

जिला ग्वालियर (म.प्र.)

प्रधान कार्यालय-कर्मचारी भवन 228 क्वाटर्स, गीतांजलि चौराहा, भोपाल (म.प्र.)

महेन्द्र शर्मा	हरिशंकर बाथम	राजकुमार वर्मा	देवी प्रसाद शर्मा
प्रान्ताध्यक्ष	संरक्षक	जिला अध्यक्ष	राष्ट्रीय महामंत्री
9826286281	9754509034	9301185773	9826048431

तहसीलदार सिंह तोमर
विभागीय अध्यक्ष
7566138399

पत्र व्यवहार का पता :
कार्या. - राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर
निवास-कम्पू, गुढ़ा डाँग वाले बाबा, बुद्ध नगर,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक/ /सी.एच.क्यू./~~14-15~~ 18-19 ग्वालियर, दिनांक 13-9-19

प्रति,

श्रीमान कुल सचिव महोदय,
राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय
ग्वालियर (म.प्र.)

आवक क्रमांक 1123... दिनांक 16/9/19

विषयः—ऐसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक जो कि दिनांक 16 मई 2007 से दिनांक 01 सितम्बर 2016 को भी कार्यरत हो उन श्रमिकों को विनियमितीकरण करने बावत।

संदर्भः—आपका पत्र, क्रमांक 2552 दिनांक 04.09.2019

महोदय,

श्रीमान जी निवेदन है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ एस–1/2013/1/3 दिनांक 07 अक्टूबर 2016 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा विनियमितीकरण का लाभ सभी दैनिक वेतन भोगी श्रमिको को दिया जाये। जो कि 15–20 वर्षो व उससे भी अधिक वर्षो से मस्टररोल पर कार्यरत है।

परिशिष्ट 01
पृष्ठ 01 से 02 तक

28/6/24

उप संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

अनुभाग अधिकारी (2)
मध्य प्रदेश शासन
कृषि विभाग, मंत्रालय, भोपाल

संघ के पत्रों का उत्तर देना अनिवार्य है, देखें निर्देश : मुख्य सचिव, अर्द्ध शासकीय पत्र 517/.../73 दिनांक 9.3.79 व सामान्य प्रशासन विभाग पत्र एफ. 3.6.75 जे.सी. 1/28-10-75 के पालन में.